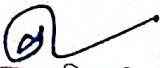


अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-103/16-17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4 (H) के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 14/स0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता के संसूचित आदेश झापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनावादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खारा भूमि की संदेहारपद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-लखीपुर थाना संख्या-274 खाता संख्या-153 दाग संख्या-671 कुल रकबा-06 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किस्म-साल जंगल है एवं मौजा-लखीपुर के राजस्व पंजी-II में रतन कुमार सिंह के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 513/रा0 दिनांक 13.07.2013 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में कोई भी वैध राजस्व दरतावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है। अतः मौजा-लखीपुर थाना संख्या-274 खाता संख्या-153 दाग संख्या 671 कुल रकबा-06 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किस्म-साल जंगल का विपक्षी-सह- पंजी-II रैयत रतन कुमार सिंह, ग्राम-लखीपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी-II में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्यवाई हेतु भूमि सुधार उपसमहर्ता, पाकुड़ को भेजे।  अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर	